छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
//आदेश//

नया रायपुर दिनांक 02/12/2014

क्रमांकः 2553/एफ–15/15/2014/पा.ला.नि./13/2: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि0, ग्राम–परसा, तह0–उदयपुर, जिला–सरगुजा छ0ग0 की कोयला खनन परियोजना को 15 एमवीए अति उच्चदाब विद्युत प्रदाय हेतु 220/120 केव्ही उपकेन्द्र विश्रामपुर से 132/33 केव्ही उपकेन्द्र परसा तहसील–उदयपुर जिला–सरगुजा के स्वीचयार्ड तक 132 केव्ही डीसीएसएस पारेषण लाइन की स्थापना व निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

राज्य शासन, एतदद्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–68 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के प्रस्ताव पर विचारोपरांत नीचे सारणी में दर्शाये गये विवरण अनुसार प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना व निर्माण उपरांत संचालन व संधारण हेतु निम्नानुसार सशर्त अनुमति प्रदान करती है :–

(1) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन का संक्षिप्त विवरणः–

सारणी

क्र	प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन का संक्षिप्त विवरण	लागत	प्रभावित जिला एवं ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि0, ग्राम – परसा, तह0 – उदयपुर, जिला – सरगुजा छ0 ग0 की कोयला खनन परियोजना को 15 एमवीए अति उच्चदाब विद्युत प्रदाय हेतु छ0ग0 राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित की विद्यमान 220/132 केव्ही उपकेन्द्र विश्रामपुर के स्वीचयार्ड से 132/33 केव्ही उपकेन्द्र ग्राम – परसा, तहसील – उदयपुर, जिला – सरगुजा के स्वीचयार्ड तक लगभग 79.0 कि.मी. सिंगल सर्किट डीसीएसएस 132 केव्ही विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना का कार्य।	लागत राशि रूपये 32,80,88,000/–	जिला–सूरजपुर, तहसील–विश्रामपुर के ग्राम केशवनगर, सतपता, कुंजनगर, हर्राटिकुरा, गोपालपुर, जयनगर, गुन्चापुर, तलइकछार, कैलाशपुर, भगवानपुर, आमापारा, जयनगर, परसपारा, तहसील–प्रेमनगर के ग्राम सरस्वतीपुर, कोसमपानी, पार्वतीपुर, उमेश्वरपुर, तारकेश्वरपुर, जयपुर, कंतल, नवागांव, वृंदावन, सल्का, प्रेमनगर, परनपथरी, शिवनगर, जिला –सरगुजा तहसील–उदयपुर के ग्राम साल्ही, परसा जिला–सरगुजा तहसील–अंबिकापुर के ग्राम फतेहपुरा, सुकरी, धनगवां, सपना, रनपुर, बांकीपुर, मुदैसा, कृष्णापुर, परत्रापारा तहसील–लखनपुर के ग्राम पुहपुटरा, छिलबिल, पिपरखार, बिनकारा, गणेशपुर, कोरजा, नवागांव, जनकपुर, जयपुर, लटौरी, तराजू, कंचनपुर, ददरपारा, उमरौली, चैनपुर, तहसील–उदयपुर के ग्राम सरगवां, खमरिया, शिवपुर, नुनारा, करूंदी, रिखी, खुतरापारा, घुचपुर, ललाटी आदि ।

E. E. EHT CONST. DN.,
C.S.P.TRANS.C.L., KORBA

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा उपरोक्त सारणी में सम्मिलित विद्युत पारेषण लाइन का उपयोग सारणी में वर्णित अनुसार किया जायेगा।

(3) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग अनुसार निजी भूमि पर टॉवर/टावरों एवं खंभा/खंभों की स्थापना कर लाइन निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 तथा भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम, 1885 की संगत धाराओं के अंतर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित वितरण लाइन की स्थापना की अनुमति होगी। लेकिन तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निजी भूमि पर खंभा/खंभों की स्थापना हेतु मुआवजा के भुगतान के लिये निर्देश जारी किये जाते है, तो ऐसी स्थिति में निर्धारित मुआवजे का भुगतान उपरांत ही आवेदक कंपनी को निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति होगी।

(4) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के स्थापना व निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की संगत धाराओं के अंतर्गत जारी "दि वर्कस आफ लाईसेंसी रुल्स 2006", समय–समय पर संशोधित में प्रावधानित शर्तें लागू रहेंगी।

(5) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग में आने वाले राजमार्ग, सड़क, नदी/नाले, रेलमार्ग के ऊपर से Cross Over की स्थिति में तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति होगी। तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व आवेदक कंपनी पर होगा।

(6) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 की संगत धाराओं के अंतर्गत लागू प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों/अनुदेशों के पालन करने का दायित्व आवेदक कंपनी पर होगा।

(7) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग में यदि वृक्ष/वृक्षों की कटाई/छटाई आवश्यक है तो ऐसी अवस्था में तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति उपरांत ही वृक्षों की कटाई/छटाई की अनुमति होगी।

(8) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग से प्रभावित शासकीय/वन भूमि पर खंभा/खंभों के स्थापना के पूर्व तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति/स्वीकृतियॉ उपरांत ही आवेदक कंपनी को निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति होगी।

(9) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग से प्रभावित अथवा चिन्हित ऐसी भूमि, जो Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 (No.20 of 1957) के अंतर्गत अधिसूचित है अथवा अन्य ऐसी भूमि जिस पर माईन एक्ट के प्रावधान लागू है अथवा ऐसी भूमि जिसमें खनिज की उपलब्धता पाई गई है अथवा खनिज पट्टे की भूमि होने पर, उक्त भूमि पर टावर/टावरों एवं खम्भा/खम्भों की स्थापना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति/स्वीकृतियॉ उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति होगी।

(10) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण उपरांत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की संगत धाराओं के अंतर्गत अधिसूचित नियम/उपनियम के अंतर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन से अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही उक्त लाइनों में विद्युत के प्रवाह की अनुमति होगी। विद्युत प्रवाह के पूर्व तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित स्वीकृति/स्वीकृतियॉ प्राप्त करने का दायित्व आवेदक कंपनी पर रहेगा।

(11) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी की विद्यमान विभिन्न वितरण/पारेषण लाइन/लाइनों के ऊपर से प्रस्तावित विद्युत लाइन के गुजरने

E. E. EHT CONST. DN.,
C.S.P.TRANS.C.L., KORBA

की अवस्था में भविष्य में विद्युत वितरण एवं पारेषण कंपनियों की वितरण/पारेषण लाइन/लाइनों में आवश्यक सुधार कार्य हेतु प्रभावशील नियमों व मापदण्डों के अनुसार कंपनी को यदि विद्युत प्रवाह बंद करने हेतु तत्संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं तो उक्त निर्देशो का पालन आवेदक कंपनी को अनिवार्यतः करना होगा।

(12) भविष्य में प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग से प्रभावित ग्राम के पंचायत अथवा स्थानीय निकाय द्वारा खडे किये गये टॉवर/टावरों अथवा रेलपोल पर यदि कोई स्थानीय कर आरोपित किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में मांग अनुसार भुगतान करने का दायित्व आवेदक कंपनी पर होगा। उक्त भुगतान के संबंध में किसी भी तरह का वाद मान्य नही होगा।

(13) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग में यदि विद्युत वितरण एवं पारेषण कंपनियों की विद्यमान वितरण/पारेषण लाइनें अथवा टेलिफोन विभाग की लाइने स्थित है, तो ऐसी अवस्था में आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित विभागों के तत्संबंधी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति होगी। प्रस्तावित निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित विद्युत लाइन तथा विद्यमान लाइनों के मध्य प्रचलित मापदण्डों के सुरक्षित दूरी बनाये रखने का दायित्व आवेदक कंपनी पर रहेगा।

(14) शासन के सक्षम विभाग/विभागों या मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा उपरोक्त विद्युत वितरण लाइन के निर्माण की अवधि में जांच/निरीक्षण हेतु निर्देशित किये जाने पर कंपनी द्वारा उक्त जांच में सभी प्रकार का सहयोग करेगी तथा जांच व निरीक्षण में पाये गये त्रुटियों/अनियमितताओं के समाधान हेतु जारी निर्देशों पर अनिवार्यतः पालन करेगी। इसी तरह तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइन के संचालन/संधारण हेतु जारी किये गये निर्देशों का पालन आवेदक कंपनी को अनिवार्यतः करना होगा।

(15) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण से यदि किसी व्यक्ति, संस्था, या अन्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन की क्षति होती है, तो ऐसी अवस्था में तत्संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने पर आवेदक कंपनी को निर्धारित मुआवजे का भुगतान करना होगा एवं इस हेतु राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

(16) प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना अधिकतम तीन (03) वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। अतः उक्त अवधि में आवेदक कंपनी को सभी कार्य पूर्ण कर लिखित में सूचना मुख्य विद्युत निरीक्षकालय को देना अनिवार्य है।

(17) प्रस्तावित लाइन के निर्माण हेतु आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–164 के अंतर्गत भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की संगत धाराओं के पालन में खंभा/खंभों स्थापित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। लेकिन इस हेतु निर्धारित मुआवजा का भुगतान उपरांत ही आवेदक कंपनी को निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति होगी।

(18) विद्युत अधिनियत 2003 की धारा–68 के अंतर्गत यह अनुमति केवल छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चिन्हित Route पर ऊपर सारणी में दर्शाये गये लाइनों की स्थापना एवं निर्माण उपरांत उक्त वितरण लाइन के संचालन एवं संधारण के कार्यो के लिए है। ऊपर सारणी में दर्शित वितरण लाइनों के समक्ष दर्शाये लागत को इस अनुमति के आधार पर शासन की स्वीकृति नहीं माना जाए।

(19) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण रेग्युलेशन, 2010 की कंडिका 11 के पालन में राज्य में स्थापित/प्रस्तावित विद्युत पारेषण/उप पारेषण लाइनों का जीआईएस मैपिंग अथवा उपलब्ध नवीन तकनीक, यदि कोई हो, के माध्यम से मैपिंग किया जाना आवश्यक हैं। उक्त कार्य आवेदक कंपनी–

E. E. EHT CONST. DN.,
C.S.P.TRANS.C.L., KORBA

द्वारा राज्य शासन की आदेश जारी होने के एक माह के भीतर अथवा विद्युत लाइन के निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, जो भी पहले हो, किया जाना आवश्यक है।

(20) ऊपर उल्लेखित किसी भी शर्त के उलंघन के पाये जाने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.एस. गुर्जर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

पृ0क्र0 2554 /एफ–15/15/2014/पा.ला.नि./13/2 नया रायपुर, दिनांक 2 DEC 2014

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला– सरगुजा, सूरजपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
2. प्रबंध निदेशक, छ0रा0 विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, डंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ0ग0 शासन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यपालक निदेशक (वा--यो) छ0रा0 विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, डंगनिया, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2.12.14
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

E. E EHT CONST. DN.,
C.S.P.TRANS.C.L., KORBA